

ओरिएण्टल इंशोरेंस सीएसआर पॉलिसी

30 नवंबर 2015 को आयोजित बैठक में (प्रथम संशोधन)

2 मई 2016 को आयोजित बैठक में (द्वितीय संशोधन)

एवं

5 मई 2017 को आयोजित बैठक में (तृतीय संशोधन)

विषयानुक्रम

1. अवधारणा

1.1 लघु शीर्षक एवं प्रयोज्यता

1.2 सीएसआर संकल्प विवरणी एवं उद्देश्य

2. स्रोत

2.1 निधिकरण एवं आवंटन

3. योजना

3.1 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान/महत्वपूर्ण प्रयास

4. कार्यान्वयन

4.1-4.6 कार्यान्वयन हेतु सामान्य मद

4.7 कार्यान्वयन की प्रक्रिया

4.7.1 कार्यक्रमों की पहचान

4.7.2 सीएसआर गतिविधि का क्षेत्र

4.7.3 परियोजना के लिए दृष्टिकोण

4.7.4 लम्बी अवधि के कार्यक्रम

4.8 निष्पादन करने वाले सहयोगी/एजेंसियां

4.9 स्वीकृति हेतु प्राधिकार।

4.10 निष्पादन करने वाली एजेंसी की पहचान करने के लिए मापदण्ड।

4.11 ओरिएण्टल इंश्योरेंस एवं निष्पादन करने वाली एजेंसी के बीच अनुबंध।

- निरीक्षण एवं प्रतिपुष्टि

- सामान्य

अध्याय-1

1. अवधारणा:

1.1 लघु शीर्षक एवं प्रयोज्यता

1.1.1 यह पॉलिसी , जो एक निगमित नागरिक के रूप में अपने उत्तरदायित्व का वर्णन करने के लिए **ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (जिसे इसके पश्चात दस्तावेज में कंपनी कहा जायेगा) के सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है, वृहद समुदाय के कल्याण एवं निरंतर विकास हेतु उपयोगी सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए प्रणाली एवं दिशानिर्देश निर्धारित करती है, को '**ओरिएण्टल इंश्योरेंस सीएसआर पॉलिसी**' का नाम दिया गया है।

1.1.2 यह पॉलिसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII तथा उसमें किए गए किसी भी तरह के संशोधनों के अनुरूप किए जाने वाले सभी सीएसआर प्रयासों एवं गतिविधियों पर लागू होगी।

1.2 सीएसआर विजन स्टेटमेंट और उद्देश्य

- कंपनी के संकल्प के अनुसार, **ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** सामाजिक रूप से कारपोरेट उत्तरदायी की भूमिका निभाते हुए ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेगी जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए काफी लाभप्रद होंगे तथा उन वर्गों के लिए काम करेगी, जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होगी।

ओरिएण्टल इंश्योरेंस सी.एस. आर पालिसी के उद्देश्य हैं:

- अपने सारे हिस्सेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए और अपने कारोबार को सुदृढ करने के लिए तथा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिवेश में प्रचालित करने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर एक परिवर्धित वचनबद्धता को सुनिश्चित करना।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यक्रमों को आयोजित करना जिनसे समुदाय को लाभ हो तथा निर्धारित समय में जिसके परिणाम दिखाई दें तथा जिन लोगों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए हों उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ करना।

- **सीएसआर** प्रयासों के द्वारा ओरिएण्टल इंश्योरेंस की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना और एक कार्पोरेट इकाई के रूप में सकारात्मक एवं सामाजिक रूप से उत्तरदायी छवि निर्मित करना।

अध्याय-2

- स्रोत:

- निधिकरण एवं आवंटन

- 2.1.1 निरंतर विकास के लिए एवं सार्थक सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा सीएसआर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, **ओरिएण्टल इंश्योरेंस** 'कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 फरवरी, 2014 को जारी राजपत्रीय अधिसूचना सं.जी.एसआर129(ई) के खण्ड 1(एफ) के अनुसार निधि का आवंटन करेगी।
- 2.1.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 फरवरी, 2014 को जारी राजपत्रित अधिसूचना सं. जीएसआर 130(ई) के अनुसार अधिसूचित कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में व्यक्त खर्चों के शीर्ष के प्रति भी एक प्रावधान कंपनी के वार्षिक सीएसआर बजट में से किया जाएगा।
- 2.1.3 कंपनी सीएसआर हेतु आवंटित बजट का वित्त वर्ष के दौरान उपयोग करने का प्रयास करेगी।
- 2.1.4 किसी विशेष वर्ष में खर्च न किया गया/उपयोग न किया गया बजट आगामी वर्ष में अग्रेषित हो जायेगा अर्थात सीएसआर बजट समाप्त होने वाली प्रकृति का नहीं है, लेकिन सीएसआर खर्च करने की रिपोर्टिंग कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 फरवरी, 2014 को जारी राजपत्रित अधिसूचना सं. जी.एस.आर 129(ई) के खण्ड 8 के अनुसार किया जायेगा।
- 2.1.5 किसी एनजीओ/स्वयं सहायता समूह/इसी प्रकार की गैर सरकारी निकायों को दिए जाने वाले बजट आवंटन, निधीकरण, आर्थिक सीमा आदि के प्रावधान को संबंधित वित्त वर्ष की कार्य योजना (Action Plan) में समाविष्ट किया जायेगा।

अध्याय-3

- **योजना:**

- महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान/महत्वपूर्ण प्रयास

3.1.1 निरंतर एवं प्रभावी ढंग से सीएसआर प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII और उसमें किए गए किसी तरह के संशोधन में सूचित गतिविधियों के अनुरूप की जाएगी।

3.1.2 अनुसूची VII या उसमें किए गए किसी तरह के संशोधनों में वर्णित गतिविधियों के लिए वार्षिक सीएसआर व्यय के आबंटन को संबंधित वित्त वर्ष की कार्य योजना में समाविष्ट किया जाएगा।

3.1.3 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रमुख गैर-जीवन बीमा कंपनी है तथा गैर-जीवन बीमा कंपनी उत्पादों एवं सेवाओं की एक मुख्य प्रदाता है, तो जहाँ तक संभव होगा हमारे सीएसआर प्रयास कंपनी के व्यवसायिक प्रचालन क्षेत्रों के समरूप होंगे।

3.1.4 **ओरिएण्टल इंश्योरेंस** अपनी सीएसआर गतिविधियों को इस प्रकार समन्वित करेगी कि ये राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा 21वीं सदी के बहुमुखी विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में इस प्रकार सहयोगी होगी ताकि लैंगिक संवेदनशीलता, कौशल वृद्धि, उद्योग उपक्रम के विकास और रोजगार सृजन को स्थानीय संस्थानों/लोगों के साथ सहयोग प्रदान करके सुनिश्चित किया जा सके। निरंतर विकास से संबद्ध गतिविधियों का हमारे द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सीएसआर प्रयासों में महत्वपूर्ण अंश होगा।

3.1.5 सीएसआर गतिविधियों में निधिकरण के लिए **ओरिएण्टल इंश्योरेंस** - विशिष्ट कार्यक्रमों में तथा समुदायिक सामाजिक निवेश में भारत सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों के साथ स्वयं के या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पीएसई के संसाधनों के साथ मिलकर नेटवर्किंग के द्वारा सहायता करेगी।

अध्याय-4

• कार्यान्वयन:

- 4.1 सीएसआर कार्यक्रम ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी के कारपोरेट सीएसआर विभाग द्वारा सीधे तौर पर या विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भारत के भौगोलिक परिधि में कहीं भी किया जा सकेगा तथा यथासम्भव पालिसी में परिभाषित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परिधि में किया जायेगा।
- 4.2 कार्यक्रम की समयावधि उसकी प्रवृत्ति, संरक्षण की सीमा व कार्यक्रम के वांछित प्रभाव पर निर्भर करेगी।
- 4.3 उन कार्यक्रमों को जिनमें पर्याप्त वित्तीय वचनबद्धताएं हैं तथा दीर्घावधि आधार पर किया जाना है, उन्हें मुख्य कार्यक्रम (Flagship Programme) के रूप में माना जाएगा तथा पर्याप्त महत्ता दी जाएगी।
- 4.4 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकांश सीएसआर कार्यक्रम, ओरिएण्टल इंश्योरेंस के प्रतिष्ठानों से सटे हुए तथा आस-पास के क्षेत्रों में निष्पादित किए जाये।
- 4.5 ओरिएण्टल इंश्योरेंस केन्द्रीय सरकारी विभागों, एजेंसियों, स्वयं सहायता समूहों इत्यादि सहित राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के उन प्रयासों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी जो ओरिएण्टल इंश्योरेंस के सीएसआर प्रयासों के समान/मेल खाते हुए होंगे।
- 4.6 सीएसआर प्रयासों को अन्य पीएसयू/पीएसई के साथ संयुक्त रूप से भी किया जा सकता है।
- 4.7 सीएसआर के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई प्रोजेक्ट गतिविधियों का विशिष्ट एजेंसियों द्वारा अनुपालन किया जायेगा, जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं, औपचारिक या अनौपचारिक चयनित स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायतों, संस्थानों/शैक्षणिक संस्थानों, ट्रस्टों, स्वयं सहायता समूहों, सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त संस्थाओं, महिला मंडलों, पेशेवर परामर्शदाता संस्थाओं इत्यादि को शामिल किया जा सकेगा।

4.8 सी.एस.आर. कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होंगे:-

4.8.1 निगमित व क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्यक्रमों का निर्धारण निम्नलिखित तरीकों से किया जायेगा:-

- (अ) सीएसआर कार्यक्रमों की आवश्यकता व उपयोगिता का आंकलन व्यवसायिक संस्थानों (Professional Institutions)/एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।
- (ब) आंतरिक आवश्यकता का अनुमान, कारपोरेट या क्षेत्रीय स्तर पर क्रियात्मक टीम द्वारा रेखांकित/निर्धारित किया जाएगा।
- (स) जिला प्रशासन/स्थानीय सरकारों इत्यादि से प्रस्तावों/आवेदनों की प्राप्ति।
- (द) स्थानीय प्रतिनिधियों/सिविल निकायों/सिटीजन फॉरम/स्वैच्छिक संस्थानों के साथ विचार विमर्श तथा आवेदन।
- (य) यह प्रावधान सीएसआर उप-समिति की दिनांक 05.05.2017 की बैठक के अनुमोदन के अनुसार हटा दिया गया है।

4.8.2 वार्षिक कार्ययोजना और उसके प्रशासनिक प्राधिकार मंडल की सीएसआर उप-समिति की प्रथम बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे।

4.8.3 **सीएसआर गतिविधियों का क्षेत्र:** यह क्षेत्र ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ लगे हुए क्षेत्रों में केन्द्रित होगा। व्यक्ति केन्द्रित कार्यक्रमों (People Centric Programme) के लिए, निर्धारित कार्यक्रमों को क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रचालन क्षेत्रों की परिधि में किया जायेगा।

4.8.4 प्रोजेक्ट आधारित दृष्टिकोण: **ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी** के क्षेत्रीय कार्यालय लंबी अवधि के तथा स्थायित्व पर जोर देते हुए प्रोजेक्ट आधारित दृष्टिकोण को अपनायेंगे व उस प्रोजेक्ट के प्रति उत्तरदायी होंगे जबकि उनकी कार्य योजना को 'लघु अवधि' व 'लम्बी अवधि' के रूप में, निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जायेगा:-

लघु अवधि	2 वर्ष से कम
लम्बी अवधि	2 वर्ष तथा अधिक

4.8.5 लम्बी अवधि के कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय, निम्नलिखित बातों को मालूम करने के लिए सभी संभव प्रयास अवश्य किए जायेंगे।:-

- अ. कार्यक्रम उद्देश्य
- ब. प्रारम्भिक सर्वेक्षण- यह नतीजों को आंकने का आधार देगा।
- स. क्रियान्वयन अनुसूचियां- विनिर्दिष्ट समय-सीमा।
- द. उत्तरदायित्व व प्राधिकार
- य. अपेक्षित मुख्य परिणाम व मापने योग्य नतीजे
- र. कम्पनी की दृश्यता व ब्रांड इमेज में सुधार

4.9 अनुमोदनार्थ प्राधिकार :

4.9.1 सभी प्रोजेक्ट (धनराशि की सीमा के बिना) मंडल की सीएसआर उप समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। लेकिन सरकारी निदेशों के विषय में सहयोग देने के लिए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया जाता है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा लिए गए निर्णयों को सीएसआर की उप-समिति में अनुमोदित किया जाएगा।

4.9.2 कारपोरेट सीएसआर विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चिन्हित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों को मंडल की सीएसआर उप समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा जिसे वित्तीय वर्ष में होने वाली सीएसआर समिति की पहली बैठक में, महाप्रबंधक (सीएसआर) की सिफारिशों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

4.9.3 सीएसआर खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्राधिकार निम्न प्रकार से सुपुर्द किए गए हैं -

क्रम सं	महाप्रबंधक (श्रेणी 7)	उपमहाप्रबंधक (श्रेणी 6)	मुख्य प्रबंधक (श्रेणी 5)
1	वास्तविक	रूपये 50 लाख	रूपये 25 लाख
** सभी कार्यक्रम सीएसआर पॉलिसी व कार्रवाई योजना की संरचना के भीतर अनुमोदित होने चाहिए ।			

4.10 निष्पादन करने वाले एजेंसी/सहयोगी

4.10.1 ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी अपने सीएसआर उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त कार्यक्रमों को निर्धारित करेगी तथा अपने सभी हिस्सेदारों व समुदायों को भी लाभ पहुंचायेगी, जिसके लिए सीएसआर कार्यक्रमों को नियत किया गया है। इन कार्यों को निम्नलिखित संस्थाओं के जरिए किया जाएगा :-

- (1) समुदाय आधारित संस्थायें।
- (2) चयनित स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत ।
- (3) स्वैच्छिक एजेंसियां (एनजीओ)
- (4) संस्थान/शैक्षणिक संस्थायें
- (5) ट्रस्ट, मिशन

- (6) स्वयं सहायता समूह
- (7) सरकारी, अर्धसरकारी व स्वायत्त संस्थाएं
- (8) स्टैंडिंग कान्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (स्कोप)
- (9) महिला मंडलों/समितियों
- (10) सिविल वर्क्स के लिए अनुबंधित एजेंसियां
- (11) व्यवसायिक परामर्शदाता संस्थायें (professional consultancy Org.)

4.11 निष्पादन करने वाली एजेंसी को निर्धारित करने की प्रक्रिया-

कंपनी उन एन.जी.ओ या ट्रस्टों का चयन कर सकती है जो कि सीएसआर के क्षेत्र में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों में पहले से ही उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और जिनके पास अनुसूची VII में वर्णित कार्यों के लिए निर्धारित कार्यान्वयन प्रक्रिया है। एन.जी.ओ. या ट्रस्टों का चयन करते समय निम्नलिखित मापदण्डों का पालन किया जाएगा:-

1. एन.जी.ओ के पास, न्यूनतम तीन वर्षों के लिए अनुसूची VII में वर्णित किए गए क्षेत्रों में प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने का प्रमाणित रिकार्ड होना चाहिए ।
2. अथवा उनके पास अनुसूची VII में वर्णित किए गए क्षेत्रों में ऐसे प्रोजेक्टों को क्रियान्वित करने की सक्षमता होनी चाहिए।
3. प्रोजेक्टों का चयन कम्पनी की स्वेच्छा पर होना है ।
4. गैर सरकारी संगठन के खिलाफ (पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान) किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी या किसी भी नियामक द्वारा चेतावनी या कोई अन्य कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।
5. एनजीओ या ट्रस्ट चलाने वाले व्यक्तियों की साख एवं पृष्ठभूमि मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन करने वाली संस्था को आवश्यक जानकारी कंपनी को प्रदान करनी होगी।
6. यदि गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट/संस्था को विदेशी निधि प्राप्त हो रही है तो उसे एफ.सी.आर.ए. प्रमाणन की प्रति उपलब्ध करानी पड़ेगी।
7. अन्य पीएसयूस/पीएसईस द्वारा चुने गए एनजीओ या ट्रस्टों को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. चयन कंपनी की आंतरिक सीएसआर समिति के द्वारा किया जाएगा जिसमें महाप्रबंधक (सीएसआर), महाप्रबंधक (पूर्णकालिक निदेशक व सीएसआर बोर्ड समिति के सदस्य) तथा वित्तीय सलाहकार होंगे।
9. चयन के मापदंड, कंपनी की आंतरिक सीएसआर समिति द्वारा प्रस्तुत किए अनुसार, मंडल की सीएसआर उप समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे ।
10. प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए गैर सरकारी संगठन द्वारा किया गया कुल खर्च (सी एस आर संबंधी गतिविधियों पर किए गए खर्चों से भिन्न) संस्था के कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
11. ऐसे एनजीओ या अन्य ट्रस्ट अपने-अपने संबंधित अधिनियमों के तहत सोसाईटी या चैरिटेबल संस्थान के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। (जैसे कि सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या अन्य प्रासांगिक अधिनियम)

12. ऐसे एनजीओ या अन्य ट्रस्ट आयकर प्राधिकरण से पंजीकृत होने चाहिए।
13. एनजीओ या अन्य ट्रस्टों के खातों का लेखा परीक्षण किया गया हो।

4.12 ओरिएंटल इंश्योरेंस और निष्पादन एजेंसी के बीच अनुबंध

- 4.12.1 एक बार मंडल की उपसमिति से कार्यक्रमों के अनुमोदित होने के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया जाएगा तथा इसके उपरान्त उन्हें क्रियान्वयन/निष्पादन एजेंसी के साथ मानक मॉडल अनुबंध के अनुसार अनुबंध करना होगा।
- 4.12.2 मंडल की सीएसआर उप समिति द्वारा प्रोजेक्ट के अनुमोदन के 30 दिन के भीतर सीएसआर पॉलिसी के अनुरूप अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।
- 4.12.3 सीएसआर पॉलिसी के अनुरूप अनुबंध में निर्गम धारा का उपयुक्त उल्लेख होगा।
- 4.12.4 अनुबंध केवल दीर्घावधि के कार्यक्रमों के लिए ही अपेक्षित होंगे।

14. अध्याय-5

5. निरीक्षण व फीडबैक

5.1 कारपोरेट स्तर पर सीएसआर विभाग निम्न प्रकार से काम करेगा।

5.1.1 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्यालय में महाप्रबंधक की अध्यक्षता में संपूर्ण टीम होगी।

5.1.2 क्षेत्रीय कार्यालय कारपोरेट सीएसआर विभाग के उचित मार्गदर्शन में अपने संबंधित क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे।

5.1.3 सीएसआर गतिविधियों में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.2 प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में अपनाए जा रहे सीएसआर कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, प्रधान कार्यालय में कारपोरेट सीएसआर विभाग द्वारा निगरानी की जायेगी। क्षेत्रीय कार्यालयों में क्रियान्वयन के अंतर्गत सीएसआर कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रधान कार्यालय के सीएसआर विभाग को भेजी जायेगी।

5.3 निगमित कार्यालय में सीएसआर विभाग, विशेष रूप से रणनीतिक महत्व, उच्च मूल्य व दीर्घावधि के कार्यक्रमों पर, निम्नलिखित दस्तावेज एकत्रित करेगा।

5.3.1 निरंतरता रिपोर्ट,

5.3.2 प्रमाण पत्र के साथ उपयोगिता रिपोर्ट,

5.3.3 समापन प्रमाण पत्र तथा

5.3.4 स्वतंत्र तृतीय पक्षीय/व्यवसायिक संस्थानों के जरिये आवधिक आधार पर प्रभावी अध्ययन कराया जाएगा।

5.4 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यक्रम के बारे में लाभार्थियों से फीड-बैक प्राप्त करने का भी प्रयास करेगा।

5.5 निगमित स्तर पर सीएसआर विभाग द्वारा नियमित रूप से **ओरिएण्टल इंश्योरेंस सीएसआर पॉलिसी** का उपयुक्त दस्तावेजीकरण, वार्षिक सीएसआर गतिविधियां, निष्पादन करने वाले साझेदारों तथा खर्चों के विवरण को अद्यतन किया जाएगा तथा कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्ज किया जायेगा।

- 5.6 मंडल की सीएसआर उप-समिति की बैठक कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 135 में विनिर्दिष्ट किए गए तथा दिनांक 27 फरवरी, 2014 की राजपत्रित अधिसूचना सं. जीएसआर 129 (ई) के खण्ड 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी।
- 5.7 कंपनी का कारपोरेट सीएसआर विभाग, सीएसआर उप समिति को एजेन्डा दस्तावेज/त्रैमासिक विवरणी देने के लिए व संवैधानिक फाइलिंग के लिए और बोर्ड रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट के लिए आंकड़े देने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 5.8 कंपनी के सीएसआर प्रयासों को दिनांक 27 फरवरी 2014 की राजपत्रित अधिसूचना सं. जीएसआर 129 (ई) के खण्ड 8 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार मंडल की रिपोर्ट तथा उनके वार्षिक वित्तीय विवरणों में भी दर्ज किया जायेगा।

अध्याय 6

6. सामान्य

- 6.1 इस पालिसी के किसी प्रावधान के संबंध में कोई शंका होने पर या पालिसी में किसी विषय के छूट जाने की स्थिति (अनुसूची 7 में वर्णित विषय) में कारपोरेट सीएसआर विभाग से संपर्क किया जाए।
- 6.2 सीएसआर पॉलिसी के सभी या कोई प्रावधान, समय समय पर, सरकार से जारी किए जाने वाले विषय पर दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तनीय होंगे।
- 6.3 कंपनी के पास इस पॉलिसी के किसी प्रावधान को संशोधित, निरस्त, सम्मिलित या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित है।

परिशिष्ट

इस पॉलिसी (अंग्रेजी या हिन्दी) में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ की अस्पष्टता की स्थिति में कृपया निम्न शब्दावली देखें:

कार्यनीति दस्तावेज/रणनीतिक दस्तावेज Strategy Papers/Documents

निरंतर विकास Sustainable Development

संरक्षण की सीमा Area of coverage

मुख्य कार्यक्रम Flagship Programme

समान/मेल खाते हुए Dovetailed

व्यवसायिक संस्थान Professional Institutions

क्रियात्मक टीम Cross functional team

वार्षिक कार्य योजना Annual Action Plan

व्यक्ति केन्द्रित कार्यक्रम People Centric Programme

प्रारम्भिक सर्वेक्षण Baseline survey

क्रियान्वयन अनुसूचियां Implementation Schedules

विनिर्दिष्ट समय-सीमा Timelines prescribed

अनुमोदनार्थ प्राधिकार Authority for approval

सुपुर्द Delegate

निर्गम धारा Exit Clause

निरंतरता रिपोर्ट Sustainability Report

निर्गमित कार्यालय Corporate Office

प्रधान कार्यालय

Head Office

प्रासांगिक अधिनियम

Relevant Act

नोट:

1. संदर्भित पॉलिसी की व्याख्या की सुविधा के लिए अंग्रेजी विवरण ही मान्य होगा।
2. जहाँ कहीं भी एनजीओ, ट्रस्ट या संस्था का उल्लेख एक साथ या अलग-अलग किया गया हो उसे एनजीओ और ट्रस्ट ही समझा जाएगा।
3. जहाँ कहीं भी ओरिएण्टल, ओरिएण्टल इंश्योरेंस या कम्पनी लिखा गया है उसे दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पढ़ा जाए।